

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR


Endorsement No. A/5127

III-6-4/72

Jabalpur, dated 21/08/2023

Copy of the notification No. 1995-1472633-2023-50-2 dated 02-08-2023 of the Government of M.P., Department of Women & Child Development issued as per the provisions of Section 4 (1) and (2) of the Juvenile Justice Act, 2015 (excerpted from Gazette of M.P. dated 11.08.2023), is forwarded to;

1. The Registrar cum PPS of Honourable Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judge, Mandasaur for information and necessary action with request that the order may kindly brought to the knowledge of the concerned Judge also;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Registrar (Confdl.) and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information.

 21.8.23

(SANTOSH PRASAD SHUKLA)
REGISTRAR District Establishment

क्र. एफ 1 (ए) 58-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती वाहनी सिंह, भापुसे, सेनानी, 8वीं वाहिनी विसबल, छिन्दवाड़ा को दिनांक 12 जून से 8 दिसम्बर 2023 तक, एक सौ अस्सी दिवस प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती वाहनी सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विनायक वर्मा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, छिन्दवाड़ा द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वाहनी सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, 8वीं वाहिनी विसबल, छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती वाहनी सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती वाहनी सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वाहनी सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नु भल्लावी, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

Bhopal, the 2nd August 2023

File No. 4001-XXI-B(One)-2023.—In exercise of the powers conferred by Entry No. 1 and 2 of the Concurrent List of the Constitution of India, the State Government, hereby, notifies that all the documents signed by e-pen/stylus or any other electronic mode under CCTNS CAS Software shall be admissible in evidence without certificate under section 65B of the Indian Evidence Act, 1872 (I of 1872).

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
B. K. DWIVEDI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2023

फा. क्र. 3314-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल, की ओर से पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(8) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री वैभव जैन, अधिवक्ता, इन्दौर के कार्यकाल में दिनांक 14 जुलाई 2023 से पुनः एक वर्ष की अभिवृत्ति करता है। उन्हें प्रतिमाह नियत मासिक पारिश्रमिक की राशि 55,000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन, भोपाल द्वारा किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल शिवाच, सचिव।

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2023

पंजी. क्र. 3250-2023-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला मुख्यालय, नीमच में विभागीय आदेश दिनांक 26 दिसम्बर 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री मिर्जा मोहम्मद बेग तथा तहसील मनासा, जिला नीमच में विभागीय आदेश दिनांक 13 मार्च 2001 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री सबलसिंह चरण (ठाकुर) का निधन होने के कारण उक्त नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2023

पंजी. क्र. 3339-2023-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला मुख्यालय, कटनी में विभागीय आदेश दिनांक 14 जनवरी 2011 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री आर. के. पाठक (रमेश कुमार पाठक) का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भट्टेले, अवर सचिव।

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2023

क्र. 1995-1472633-2023-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची			
क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मंदसौर	मंदसौर	सुश्री प्राची पाण्डेय, JMFC

No. 1995-1472633-2023-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mandsaur	Mandsaur	Sushri Prachi Pandey, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेशारिया, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2023

क्र. एफ-3-3-4-0001-2023-तीस.—राज्य शासन एतद्वारा, मंत्रि-परिषद् के आइटम क्रमांक 04 दिनांक 04, जुलाई 2023 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में, विभागीय संक्षेपिका दिनांक 20 जून 2023 की कंडिका क्रमांक 12 के अनुसार “संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास” की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है.

2. उक्त न्यास गठन के संबंध में शासन द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति जारी करता है :—

(1) न्यास गठन के उद्देश्य :

संत रैदास के जीवन और उनकी वाणियों को मानव कल्याण के लिये विभिन्न माध्यमों में अभिव्यक्त करने के साथ-साथ मध्यप्रदेश की वर्तमान भौगोलिक सीमा से सम्बद्ध संतों के जीवन और उनकी वाणियों का विविध स्वरूपों में प्रदर्शन किया जाये.

(2) न्यास का स्वरूप, न्यासी तथा उनका कार्यकाल :

न्यास के गठन का स्वरूप निम्नानुसार प्रस्तावित होगा :—

- न्यास में निम्नानुसार कुल 21 सदस्य होंगे.
- मध्यप्रदेश शासन द्वारा भारतीय ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त पाँच सदस्य तथा विभिन्न क्षेत्रों एक सामाजिक कार्यकर्ता को न्यासी सदस्य के रूप में नामांकित किया जाएगा.